न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–70 / 2022

1. अनिलकुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी 25 केएनडी तहः खाजूवाला। ..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

दिनांक :– 10.10.22

–: आदेशः–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से चक 25 केएनडी के मु0नं0 152 / 40 में 21.00 बीघा कृषि भूमि रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थी के पड़ौस में ही मु0नं0 152 / 32 सुल्तानसिंह पुत्र खेतसिंह की कृषि भूमि है जिसमें सीमाज्ञान हेतु उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसपर प्रार्थी को बिना प्रोपर तरीके से सूचना दिये बिना व प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी के पड़ौस का मुरब्बा 152 / 32 का सीमाज्ञान किया गया जिसमें प्रार्थी खाजूवाला से बाहर होने के कारण हाजिर नहीं हो पाया था अब प्रार्थी न्यायहित में अपनी उक्त कृषि भूमि व 152 / 32 का पुनः सीमानज्ञान करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी के साथ न्याय हो सके। चक 25 केएनडी के मु0नं0 152 / 40 व 152 / 32 का सीमाज्ञान न्यायहित में पुनः करवाये जाने का आदेश फरमावें। सुल्तानसिंह पुत्र खेतसिंह निः 25 केएनडी द्वारा भी उपस्थित न्यायालय होकर प्रा0पत्र इस आश्य का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के खेत की पैमाईस दिः 8.6.22 को की गई थी तथा निशानदेही के खुंटे उखाड़–कर फैंक दिये है तथा अपनी तारबन्दी को मुताबिक पैमाईस हटाने से इन्कार हो गये है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि मय पुलिस जाप्ता से अतिक्रमण हटाकर प्रार्थी की भूमि मुक्त करवाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:23 IST
Reason: SelfAttested

सुल्तानसिंह का प्रार्थनापत्र इस पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है[illegible]जा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 25 केएनडी के मु0नं0 152 / 40 के किला नं0 1 ता 11, 13 ताा 18, 24, 25 कुल 4.6281 है0 कृषि भूमि अनिलकुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी खाजूवाला के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अनिलकुमार पुत्र मदनलाल का ही कब्जा काश्त है।

पत्रावली में तहसीलदार खाजूवाला द्वारा मु0नं0 152/32 के करवाया गए सीमाज्ञान पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार दिनांक 08.06.22 को उक्त मुरब्बे का सीमाज्ञान में तहसीलदार खाजूवाला द्वारा टीम बनाकर किया गया किन्तु प्रार्थी अनुसार उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी के मुरब्बे चिपते है।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुना जाना था क्योंकि प्रार्थी का मुरब्बा अप्रार्थी के चिपते है। तहसीलदार खाजूवाला से मुरब्बा नं0 152/32 व 152/40 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह मुरब्बा नं0 152/32 व 152/40 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:11:23 IST
Reason: SelfAttested